



म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL

Government of Madhya Pradesh

क्र. 1038

/आदेश//

दिनांक 12/10/20

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथासंशोधित 2013 एवं 2016 में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अन्तर्गत आयोग की 162वीं सभा दिनांक 05/10/2020 के एजेण्डा क्रमांक (162)-7 में किये गये अनुमोदन के अनुक्रम में टेक्नो ग्लोबल विश्वविद्यालय, विदिशा को उनके मुख्य परिसर में नवीन पाठ्यक्रम संचालन हेतु शैक्षणिक विभागों में निम्नलिखित तालिका में दर्शित पाठ्यक्रमों को उनके नाम के सम्मुख दर्शित सीट संख्या में वृद्धि करते हुए सत्र 2020-2021 से संचालित करने की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

New Proposed courses.

तालिका क्रमांक 1

S.No	Name of the course	Ordinance No.	Intake capacity
1	BA	21	120
2	MA	22	330
3	BJMC	44	30
4	M.Sc.	24	150

Approval for Increase in Intake in Existing course.


तालिका क्रमांक 2

S.No	Name of the course	Ordinance No.	Approved Intake (Existing)	Request for Additional intake	Total Intake
1	B.Sc. Agr.	49	120	80	200

शर्तें :-


- यू.जी.सी., आई.सी.ए.आर एवं संबन्धित विनियामक परिषदों से अनिवार्य रूप से अनुमति प्राप्त होने की शर्त पर उपरोक्त पाठ्यक्रमों को संचालित करने की अनुमति प्रदान की जाती है।
- यू.जी.सी., आई.सी.ए.आर एवं संबन्धित विनियामक परिषदों से अनिवार्य रूप से अनुमति प्राप्त होने पर छात्रों को प्रवेश दिया जाये।
- उपरोक्त पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु यू.जी.सी. एवं आई.सी.ए.आर. संबन्धित विनियामक परिषदों के मापदण्डों के अनुसार शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति सुनिश्चित की जाना अनिवार्य होगा।
- उपरोक्त पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों के प्रवेश संबन्धित विनियामक परिषदों की गाईडलाईन के अनुसार दिये जायेगे।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित की गई गाईडलाईन / मापदण्डों का पालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।
- विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन एवं म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग के द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली से निरीक्षण कराना अनिवार्य होगा तथा नेक से प्रत्ययन एवं मूल्यांकन अनिवार्यतः कराना होगा।

निरंतर -2


12/10/20

(2)

7. यू.जी.सी. के प्रावधानानुसार पाठ्यक्रमों में प्रवेशित विद्यार्थियों का डिप्लोमा, डिग्री एवं अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का डिजिटल रिकार्ड (एन.ए.डी. में) संधारित करना होगा।
8. पाठ्यक्रमों के संचालन में किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर एवं निरीक्षण के दौरान किसी प्रकार की गभीरता/न्यूनता पाये जाने पर नियमानुसार अनुमति निरस्त की जावेगी।
9. कृषि पाठ्यक्रमों के संबंध में रेग्युलेशन वाडी की संबद्धताओं के संबंध में विद्यार्थियों को प्रवेश के पूर्व जानकारी लिखित में देवे ह ताक्षर भी करवाये।


12/10/2020

(डॉ. के.पी. साहू)
सचिव

पृष्ठांकन क्रमांक..... म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग/भोपाल

दिनांक : 11/10/2020

- प्रतिलिपि:—
1. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय, भोपाल।
 2. कुलसचिव, टेक्नो ग्लोबल विश्वविद्यालय, विदिशा (म.प्र.)
 3. गार्ड फाईल।


सचिव